





सर्वेक्षण संख्या 148 (जिला कलेक्टर) टांक

आरबीईटर

- 1040 -

प्रार्थी के पास अपने मकान/अखण्ड का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दर्स्तावेजाल (पट्टे) नहीं है। प्रार्थी का मकान/अखण्ड पक्का है जिसका मूआवजा

अवार्ड 13,353/- पारित किया गया है।

2 ग्राम नजीरपुरा में खसरा संख्या 41, 47 पर सरकारी भूमि पर स्थित Platform का तहसीलदार (मू.अ.) उनीयारा मू. अलीगढ़ जिला टांक के हस्ताक्षर है।

सहायक अभियन्ता सांठवणिक निर्माण विभाग उपखण्ड अलीगढ़ जिला टांक व आई. द्वारा अवार्ड 63,789/- पारित किया गया है। उक्त Valuation Report पर INFRADESINGS PVT. LTD. द्वारा 63,789/- निर्धारण करने के उपरान्त एन.एच.ए. परिसम्पत्ति का Valuation Report of Immovable Property By HORIZON 1 ग्राम नजीरपुरा में खसरा संख्या 104 पर सरकारी भूमि पर स्थित Single Story से है।

मकान/अखण्ड की वल्यूवेशन शीट की सत्यप्रतिनिधि प्रिजवार्ड गई है, जो निम्न प्रकार पत्र क्रमांक:-एसडीआर/मू.अ.वा./148 एन/330 दिनांक 05.04.2022 से प्रार्थी के नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्वादि) एवं उपखण्ड अधिकारी उनीयारा के 10,00,000 रुपये बांटा गया है परन्तु उक्त द्वारा इसकी तापद में साक्ष्य-सर्वे प्रस्तुत गया है। प्रार्थी द्वारा अर्वादिदा मकान/अखण्ड का मूआवजा बाजार मूल्य की दर से अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मूआवज का निर्धारण नियमानुसार किया भूमि खण्ड 104 में स्थित है, जिसमें जमीन मू.आवादी वार्ड ग्राम नजीरपुरा का राजमार्ग संख्या 148 एन उपखण्ड अधिकारी उनीयारा द्वारा प्रार्थी के मकान/अखण्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्वादि अधिकारी सर्वेक्षण उर्वाह/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दर्स्तावेजाल अवार्ड हस्त बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सूची।

प्रार्थना पत्र, खालिज योग्य है।

द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यमतर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः अंकित थी। प्रार्थी को निर्मित संरचनाओं का मूआवजा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी विभाग द्वारा समुच्च (वेट) किया गया। जमीन की जिस मू.आवादी राजस्व रिकार्ड में तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सांठवणिक निर्माण में पी.डब्ल्यू.डी. की बी एस आर (बैसिक डिजाइंग आफ स्टेट) के आधार पर स्वतंत्र सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध आदेश दिया गया साथ ही संबंधित तहसीलदार को उक्त पट्टाओं एवं निरदावरी सहित आदि का सर्वे कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का मूआवजा राशि के निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त अर्वादि भूमियों एवं निर्माण से कन्द सरकार में निहित हो गई। अर्वादि बांटा भूमि में स्थित संरचनाओं/निर्माण की गया। धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अर्वादि रूप भूमि अर्वादि अधिकारी द्वारा संबंधित हिताधिकारियों के हक में अवार्ड पारित किया की गई उक्त विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्सारण किये जाने के उपरान्त सक्षम आर्वादि प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, जिस-जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत प्राधानों के अनुसार अवार्ड पारित किया गया है। अर्वादि भूमि का अधिनियम की धारा

